अनुसूची II

(देखें नियम 6)

I. सुविधा खातों पर पास

प्रवर्ग	अनुज्ञेय सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेश की श्रेणी	अनुज्ञेय सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेशों की संख्या		हकदारी की शर्तें
		सुविधा पास	सुविधा टिकट आदेश	
1	2	3	4	5
1. ग्रुप "क" और ग्रुप "ख"	प्रथम श्रेणी "क"	प्रति वर्ष 6 सेट	प्रतिवर्ष 6 सेट उन मामलों में जिसमें रेल कर्मियों ने विकल्प दिया है/विधवा पास के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से शासितों को सुविधा टिकट आदेश के 4 सेटों की हकदारी तक सीमित कर दिया जाएगा।	1. प्रथम श्रेणी "क" पास धारक को निम्नलिखित का हकदार बनाता है :– (i) प्रथम वातानुकूल श्रेणी से भिन्न किसी श्रेणी में यात्रा करने का ; (ii) राजधानी अथवा शताब्दी एक्सप्रेस से भिन्न किसी भी गाड़ी में यात्रा करने का ; (iii) पास के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए 140 किलोग्राम सामान और प्रत्येक बालक के लिए इस मात्रा का आधा लाने का ; नीलगिरी रेलवे में प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए 70 किलोग्राम सामान और प्रत्येक बालक के लिए इस मात्रा का आधा ; (iv) बिना अतिरिक्त किराया दिए वातानुकूल श्रेणी में यात्रा करना ; (v) प्रथम वातानुकूल श्रेणी के किराए और वातानुकूल श्रेणी के किराए के अंतर का एक तिहाई देकर प्रथम वातानुकूल श्रेणी में यात्रा करने का एवं ; (vi) द्वितीय श्रेणी में एक "परिचर" ले जाने का ;
2. ग्रुप "ग"				
(क) 1-8-69 से पूर्व नियुक्त किए गए रेल सेवक				
(i) जो 1530 रु. या इससे अधिक वेतन पा रहे हैं बशर्ते कर्मचारी रु. 2040 अथवा उससे ऊपर के वेतनमान में हो।	प्रथम श्रेणी	(क) सेवा के पांचवे वर्ष के अंत तक एक सेट (ख) सेवा के पांच वर्ष के 3 सेट	श्रेणी (क) एवं (ख) में दिए गए सुविधा टिकट आदेश की संख्या के बराबर	प्रथम श्रेणी पास, धारक को निम्नलिखित का हकदार बनाता है :– (i) द्वितीय श्रेणी में एक परिचर ले जाने का, (ii) प्रथम वातानुकूल श्रेणी से भिन्न किसी श्रेणी में यात्रा करने का

1	2	3	4	5
(ii) नर्स जो 1400 रु. या इस से अधिक वेतन पा रही हैं और महिला स्वास्थ्य परिदर्शक जो 1230 रु. या इससे अधिक वेतन पा रही हैं।	प्रथम श्रेणी			(iii) बिना कुछ अतिरिक्त किराया दिए वातानुकूल श्रेणी में यात्रा करना। (iv) प्रथम वातानुकूल श्रेणी एवं वातानुकूल श्रेणी के किराये के अंतर का पूरा भुगतान कर प्रथम वातानुकूल श्रेणी में यात्रा करना।
(iii) उपरोक्त मदों (i) (ii) में शामिल कर्मचारियों के अलावा	द्वितीय श्रेणी	(क) रेल सेवा के पांचवे वर्ष के अंत तक 1 सेट (ख) सेवा के पांच वर्ष के पश्चात 3 सेट	श्रेणी (क) एवं (ख) में दिए गए सुविधा टिकट आदेश की संख्या के बराबर	(v) पास में प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए 70 किलोग्राम सामान और प्रत्येक बालक के लिए इस मात्रा का आधा लाने का, सुविधा टिकट आदेश धारक को चाहे वह ग्रुप ए, बी, सी अथवा डी का हो, निम्नलिखित का हकदार बनाता है।
(ग) 1-8-69 को एवं इसके पश्चात नियुक्त किए गए रेल सेवक परंतु 31-3-87 से पहले वाले रेल सेवक				(i) उसी श्रेणी में यात्रा करने का जिसका वह सुविधा पास है, जिसका वह इसमें इसके पूर्व वर्णित रूप मे हकदार है अथवा निम्न श्रेणी जिसमें वह यात्रा कर रहा है, में उस श्रेणी जिसका वह हकदार है कि 1/3 किराए का भुगतान करके निम्न श्रेणी में, जैसा भी मामला हो, तथापि प्रथम श्रेणी सुविधा टिकट आदेश धारक वातानुकूल शयनयान श्रेणी के किराए का 1/3 भुगतान करे वातानुकूल शयन यान श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं।
(i) जो 1680 रु. या इससे अधिक वेतन पा रहे हैं बशर्ते वे उस वेतनमान में हो जिसका अधिकतम 2200 रु. हो।	प्रथम श्रेणी			
(ii) नर्स/महिला स्वास्थ्य परिदर्शक जो 1480 रु. या इससे अधिक वेतन पा रही है	प्रथम श्रेणी			(ii) प्रथम श्रेणी "क" की दशा में एक परिचर की द्वितीय श्रेणी में ले जाने का एवं प्रथम श्रेणी सुविधा टिकट आदेश पर द्वितीय श्रेणी के किराए का 1/3 भुगतान करके।
(iii) उपरोक्त मदों (i) एवं (ii) मे शामिल कर्मचारियों के अलावा				(iii) उसी प्रकार यात्रा विराम एवं दूरी प्रतिबंध का, जिस प्रकार साधारण टिकट की दशा में कर सकते है तथापि सुविधा टिकट आदेश के बदले में टिकट धारक जो मेल गाड़ी में यात्रा कर रहा है मार्ग में बिना किसी दूरी प्रतिबंध के यात्रा विराम कर सकता है।
(ग) 1-4-87 को एवं इसके पश्चात नियुक्त किए गए रेल सेवक				(iv) जिस श्रेणी का हकदार हो उस से उच्चतर श्रेणी में शुल्क का भुगतान करके यात्रा कर सकना सुविधा टिकट आदेश के बदले जिस श्रेणी में वह हकदार है उस में यात्रा करने के लिए सुविधा टिकट आदेश में दर्शित श्रेणी और उस श्रेणी जिस में वह यात्रा करने

1	2	3	4	5
(i) 2301 रु. या इस से अधिक वेतन पा रहे बशर्ते वे उस वेतनमान में हों जिसका न्यूनतम 2000 हो।	प्रथम श्रेणी	(क) रेल सेवा के पांचवे वर्ष के अंत तक 1 सेट। (ख) सेवा के पांच वर्ष के पश्चात् 3 सेट।	श्रेणी (क) एवं (ख) में दिए गए सुविधा टिकट आदेश की संख्या के बराबर।	का चयन करता है, पूरे किराए का अंतर का संदाय करने पर यात्रा करने का (v) मुफ्त सामान छूट का उन्हीं शर्तों पर जो उसी श्रेणी के जिसमें वह यात्रा करने का चयन करता है, साधारण टिकट के किसी धारक को लागू है।
(ii) उपरोक्त मद (i) में शामिल कर्मचारियों के अलावा।	द्वितीय श्रेणी			

कुल "घ" द्वितीय श्रेणी

I. सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेशों संबंधी सामान्य नियम

1. **अशक्तों को सुविधा पास सुविधा टिकट आदेश नियम**

2 (ग) (iv) एवं 2 (घ) (iii) (घ) के संदर्भ में अशक्त से तात्पर्य होगा :

(i) अशक्त से तात्पर्य है जिसका दिमाग अपंग हो यह नशे के आदी होने की वजह से दिमाग अपंग होने वालों से भिन्न है अथवा शारीरिक रूप से विकलांग अथवा असहाय हो और 21 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के पश्चात् भी कमाने में असमर्थ हो।

(ii) इसे भी संतुष्ट करना होगा कि अपंगता इस प्रकार की है कि इससे उसे अपना जीवन यापन स्वयं करने में बाधक होती है इस बात का प्रमाण-पत्र का साक्ष्य चिकित्सा अधिकारी जो मंडलीय चिकित्सा अधिकारी के दर्जे से नीचे न हो, से होना चाहिए, तथा उसे जहां तक संभव हो, अशक्त की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति का यथार्थ वर्णन करना चाहिए।

(iii) उपरोक्त के बारे में हर तीन साल के बाद कम से कम एक बार इस बात का प्रमाण—पत्र चिकित्सा अधिकारी से मिलना चाहिए कि अशक्त व्यक्ति अभी भी उसी गड़बड़ी एवं असमर्थता से पीड़ित है जब भी अशक्त कमाना शुरु करेगा कर्मचारी इस बात की सूचना प्रशासन को देगा।

(iv) यदि चिकित्सा अधिकारी के विचार में शारीरिक अपंगता एवं दिमाग की असमर्थता आदि इस प्रकार की है कि एक समय के अंतराल के बाद संबंधित व्यक्ति अपनी जीविका कमाने में समर्थ हो जाएगा, वह इन नियमों के अधीन अशक्त नहीं समझा जाएगा।

2. **सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश के जारी करने के लिए स्कूल प्रमाण-पत्र की आवश्यकता**

स्कूल प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना इन नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाएगा :—

(क) शैक्षणिक सत्र के आरंभ में एक वर्ष में एक बार स्कूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथापि, पास जारी करने वाले प्राधिकारी को जब शिक्षा रोक दी जाए इसकी सूचना तत्काल दी जानी चाहिए तथापि, जहां इस बात की शंका हो कि शिक्षा जारी है अथवा नहीं के बारे में भी एक प्रमाण-पत्र लाने के लिए जोर दिया जाना चाहिए।

(ख) उन मामलों, जिनमें स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रत्याशा में पास जारी किया जा चुका है स्कूल प्रमाण-पत्र पास जारी होने के एक महीने की अवधि में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

(ग) उपरोक्त अनुदेश रेल कर्मी को 21 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों जिनमें छात्र बेटा/बेटे/आश्रित भाई/भाईयों को शामिल करने पर लागू होगें।

3. (i) सुविधा टिकट/सुविधा टिकट आदेश रेल कर्मी को स्वयं आश्रित संतान एवं आश्रित रिश्तेदारों जैसाकि नियम 2 में परिभाषित है, के लिये स्वीकार्य है चाहे रेल कर्मी साथ जा रहा है अथवा नही। पास जारी करने वाले प्राधिकारी को कम से कम पांच वर्ष में एक बार परिवार के सदस्यों/आश्रित रिश्तेदारों के विवरण भेज दिए जाने चाहिए तथा कोई परिवर्तन जब भी हो उसकी भी सूचना तब ही दे दी जानी चाहिए।

(ii) पास सुविधा टिकट आदेश में दो से अधिक आश्रितों को इस शर्त के अध्यधीन शामिल किया जाएगा कि पास सुविधा टिकट आदेश में शामिल व्यक्तियों की कुल संख्या जहां कमी, अनुमेय हो, परिचर को छोड़कर पांच होगी। यदि परिवार के सदस्य ही पास/सुविधा टिकट आदेश में शामिल किए जा रहे हैं तो यह सीमा नहीं लागू होगी।

(iii) जब रेल कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य या कोई आश्रित दोनों आंखों से अंधा हो और सुविधा टिकट पर अकेले यात्रा कर रहा हो तब एक साथी को उसी श्रेणी जिसमें दृष्टिहीन यात्रा कर रहा हो, में यात्रा करने की अनुमति है यह सुविधा संबंधित रेल के मंडलीय चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर दी जाती है।

(iv) जारी होने की तिथि से सुविधा पास का आधा सेट तीन माह के लिए मान्य होगा एवं एक सेट चार माह के लिए मान्य होगा चाहे यात्रा उसी स्टेशन अथवा किसी अन्य स्टेशन के लिए हो।

(v) सुविधा टिकट आदेश जारी होने की तिथि से तीन महीने के लिए मान्य होगा।

(vi) सुविधा टिकट पर यात्रा कर रहे पास धारक की इच्छा पर मार्ग में किसी स्टेशन में यात्रा विराम स्वीकार्य है।

(vii) यात्रा के लिए आरंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक रेल सेवक की इच्चानुसार सबसे छोटे मार्ग से सुविधा पास जारी होगा बशर्ते कि सुविधा टिकट पर निम्नलिखित स्थिति में उससे लंबा मार्ग स्वीकार्य है :—

(क) गंतव्य तक पहुंचने के लिए दो वैकल्पिक मार्ग हों उदाहरण के लिए बंबई से कलकत्ता बरास्ता नागपुर या बरास्ता इलाहाबाद एवं बंबई से दिल्ली मध्य रेलवे अथवा पश्चिम रेलवे द्वारा इस प्रकार पास दोनों ही मार्गों द्वारा स्वीकार्य है इसमें दूरी शामिल होने ; या

(ख) यदि रेल सेवक द्वारा चाहा गया एक लम्बे मार्ग के रास्ते गंतव्य तक की दूरी सीधे मार्ग के रास्ते दूरी के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होती तो ऐसे पास जारी किये जा सकते हैं।भले ही इसमें एक छोटे भाग की ही यात्रा क्यों न शामिल हो उदाहरण के लिए हावड़ा के रास्ते चित्तरंजन से कचरापाड़ा या बम्बई वी.टी. के रास्ते लखनऊ से दक्षिण/दक्षिण मध्य रेलवे पर किसी स्टेशन तक की यात्रा परन्तु शर्त यह होगी कि बम्बई वी.टी. कल्याण अथवा मद्रास आर कोणम खंडों की टर्मिनल सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए छोटे से छोटे मार्ग के माध्यम से दूरी में कुल दूरी 15% से अधिक नहीं होती, अथवा।

(ग) यदि गंतब्य के लिए लंबा मार्ग सीधे मार्ग से जल्दी समाप्त हो जाता है भले ही उसकी दूरी कितनी भी क्यों न हो।

(viii) उस मामले जिसमें रेल कर्मी टी.ए. ड्यूटी पर अथवा अस्थाई स्थानातरण पर किसी अन्य स्थान पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर हो एवं सुविधा पास तथा सुविधा टिकट आदेश लिए अनुरोध करने के लिए न आ सके तब इन नियमों में परिभाषित परिवार के सदस्य अथवा आश्रित रिश्तेदारों के अनुरोध पर उन्हें सुविधा पास तथा सुविधा टिकट आदेश जारी किये जा सकते है।

(ix) सुविधा टिकट पासों पर स्वीकार्य मुफ्त भार भत्ता साईकिल/मोटर साईकिल/स्कूटर ले जाने के लिए दिया जाएगा इसमें घर अथवा बाहरी लाइनों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(x) पास धारक जिसके लिए पास दिया गया है उस से एक श्रेणी उपर में उस श्रेणी जिस के लिए पास है तथा उससे उच्चतर श्रेणी जिसमें वह यात्रा करने का चयन करता है के बीच किराए के अंतर का भुगतान कर के यात्रा कर सकता है सिवाय

प्रथम "ए" सुविधा पास धारक के जो कि प्रथम वातानुकूलित श्रेणी एवं वातानुकूलित शयनयान श्रेणी एवं वातानुकूलित शयनयान श्रेणी के किराए के 1/3 अंतर के भुगतान करके प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा कर सकता है जब पास को उच्चतर श्रेणी मे बदला जाता है तब सामान का मुफ्त भत्ता उस के बराबर होगा जो उन उच्च श्रेणी के टिकट धारकों अथवा सुविधा पास धारक को जिस श्रेणी में यात्रा करने का हक है स्वीकार्य हों, जो भी अधिक हो रेल धारक को मुफ्त परिचर साथ ले जाने का अधिकार उस श्रेणी के पास द्वारा विनियिमित किया जाएगा।

(xi) अविवाहित पुत्रियां यदि कमा भी रही हों तो भी उसके पिता/माता कि दोनों रेल सेवक है बशर्ते वह स्वयं रेल सेवक है, को जारी पास सुविधा टिकट आदेश में शामिल होने की पात्र है, पुत्री के पास खाते में तदनुरुपी एक खाता बनाया जाएगा जिसमें मौजूदा पासों के साथ उसको रेल सेवक के रूप में दिये जाने वाले पासों का खाता होगा, तत्पश्चात् वह उसके माता पिता को जारी पास/सुविधा टिकट आदेशों में उसी प्रकार से सम्मिलित होगी जैसे कोई अविवाहित पुत्री जो रेल कर्मचारी नहीं है।

(xii) यदि पति पत्नी दोनों रेल सेवक है एवं अपने अधिकार में पास एवं सुविधा टिकट आदेशों के हकदार हों, वे अलग से इन नियमों के अंतर्गत वर्णित पासों एवं सुविधा टिकटों के हकदार है पास एवं सुविधा टिकट आदेशों में वह एक दूसरे को शामिल कर सकते है। माता एवं पिता दोनों के पास एवं सुविधा टिकट आदेशों में बच्चों के लिए भी अनुमति है।

(xiii) एक बार जारी सुविधा पास एवं सुविधा टिकट आदेश लेकिन जो इस्तेमाल न किए गये हो, विशेष स्थिति जो पास जारी करने वाला अधिकारी लिख के दर्ज करेगा, में ही संबंधित रेल सेवक के खाते मे गिने जाएगें।

(xiv) जब किसी कर्मचारी ने उसे वर्ष के दौरान देय सभी पासों को ले लिया हो, तब उसे चालू वर्ष के अंतिम माह मे पासों का एक सेट आने वाले वर्ष के लिए दिया जाएगा एवं इस पास को अगले वर्ष के पास को नाम खाते में डाल दिया जाएगा। यह पास जैसा मामला हो जारी होने की तिथि से 3/4 महीने के लिए मान्य है।

(xv) (क) उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे स्थाई रेल कर्मचारी के मामले में छुट्टियों पर जाते समय जिस उच्च पद पर स्थानापन्न नियुक्ति हुई है की श्रेणी के एवं उसी की संख्या के पासों का वह हकदार है बशर्ते छुट्टी की अवधि के दौरान वह उच्च पद पर मिलने वाला वेतन पा रहा हो,

(ख) अस्थाई रेल सेवक के मामले में जो छुट्टी पर जा रहा है, पास जारी करने की श्रेणी का निर्धारण उस वेतन के आधार पर होगा जो वह रेलसेवक अपनी सेवानिवृत्ति के समय लेता है उस अस्थाई रेल कर्मचारी के मामले में जो जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई थी से उच्च ग्रेड पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए छुट्टी पर जा रहा हो की पास की श्रेणी का निर्धारण स्थानापन्न वेतन के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि छुट्टी की अवधि के दौरान वह उच्च पद पर मिलने वाला वेतन पा रहा हो,

(xvi) सभी पास धारक एवं वे जो सुविधा टिकट आदेश के बदले में टिकट पर यात्रा कर रहे है उनको आरक्षण शुल्कों शयनयान अधिभार से दूसरी श्रेणी के शयनयान डिब्बों एवं कुछ गाड़ियों पर एक्सप्रेस नामांकित गाड़ियों पर एक्सप्रेस नामांकित गाड़ियों पर तीव्र गामी गाड़ियों के शुल्क से छूट होगी।

बहरहाल, द्वितीय श्रेणी शयनयान सवारी जिसमें यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारी को स्लीपर प्रभार यदि कोई हो अदा करने होंगे परंतु सीट शायिका के लिए, आरक्षण प्रभार नहीं देने होंगे।

(xvii) (अ) जब किसी राजपत्रित रेल सेवक की नाबालिग संतान यात्रा कर रही हो परंतु न तो उसके माता पिता तथा न ही परिवार का कोई बालिग रिश्तेदार साथ हो तब महाप्रबंधक को यह अधिकार है कि वह नर्स अथवा किसी अन्य व्यक्ति को पास में सम्मिलित कर सकता है नाबालिग संतान में बेटे/सौतले बेटे/दत्तक बेटे अथवा आश्रित भाई जो 15 वर्ष से कम हो तथा बेटियां/सौतेली बेटियां, दत्तक बेटियां अथवा आश्रित बेटियां जो 18 वर्ष से कम हो शामिल हैं.

(ब) जब किसी अधिकारी की नाबालिग संतान की सुरक्षा की दृष्टि के संबंध में यात्रा की जा रही हो, तब अभिभावक को इन नियमों में परिभाषित प्रथम श्रेणी के पासों के लिए अनुमति दी जा सकती है, सिवाए एक परिचारिक के, जिसे

नियम के अधीन अभिभावक के रूप में द्वितीय श्रेणी के पासों की अनुमति है। इस प्रकार के नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य ऐसे पासों को सुविधा पास के उधार खाते में लिखा जाएगा।

(xviii) नीलगिरी रेलों मे अप्रैल, मई एवं जून के महीनों में सिवाए राजपत्रित अधिकारी के पास स्वीकार्य नहीं है।

(xix) रेल अधिकारी के परिचर जब अपने मालिकों के साथ यात्रा नहीं कर रहे हो तब अलग से दूसरे दर्जे का चेक पास महाप्रबंधक अपने विवेक पर यदि आवश्यक समझे तो सिर्फ निम्नलिखित आकस्मिकताओं में जारी कर सकता है जो कि नीचे दी गई स्थितियों के अध्यधीन होगा :

(क) किसी अधिकारी की एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण के मामले में, ऐसे पास 2 महीनों की अवधि में काम में लाए जाएं।

(ख) उन अधिकारियों के मामले में जो दो महीने से अधिक की लंबी छुट्टियों पर स्टेशन से बाहर जा रहे हों पास को छुट्टियों के पहले और बाद 15 दिनों की अवधि में प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

(ग) यदि अधिकारी पास को अपनी यात्रा के लिए लेता है तो परिचर/परिचरों को पास स्वीकार्य होगे जब अधिकारी अपनी यात्रा के लिए सुविधा टिकट आदेश लेता है तब परिचर को अलग से पास स्वीकार्य नहीं होगा।

(घ) उन स्टेशनों के बीच जिस के लिए अधिकारी को सुविधा अथवा स्थानांतरण पास जारी किया गया है परिचर को अलग पास जारी किया जाएगा।

(ङ) जब अधिकारी अपने साथ पहले ही परिचर को स्थानांतरण/सुविधा पास पर ले गया हो परिचरों को अलग पास नहीं जारी किए जाएंगे।

(च) उन उम्मीदवारों को जिनमें प्रोबेशनरी अधिकारी एवं अस्थाई अधिकारी शामिल है उनकी रेलवे में प्रथम नियुक्ति के समय कार्यभार संभालने के लिए रेल यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी "ए" एवं प्रथम श्रेणी पास जारी किए जा चुके है उन्हें द्वितीय श्रेणी में परिचरों की अनुमति नहीं है।

(छ) अधिकारियों के परिचरों को द्वितीय श्रेणी के सुविधा टिकट आदेश जारी नहीं किए जाएगें।

(xx) मध्यवर्ती स्टेशनों से परिवारों, आश्रित रिश्तेदारों एवं कर्मचारियों को गाड़ी पर चढ़ाना। मध्यवर्ती स्टेशनों से कर्मचारियों को अपने परिवार एवं आश्रित रिश्तेदारों को एवं उनको स्वयं को अपने परिवार एवं या/आश्रित रिश्तेदारों द्वारा गाड़ी पर चढ़ाने की अनुमति है बशर्ते पास पर इस आशय की टिप्पणी है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी, जो दिल्ली से मद्रास के लिए यात्रा कर रहा है और अपने परिवार एवं/या आश्रित रिश्तेदार को नागपुर से गाड़ी पर चढ़ाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति है पास में यह पृष्ठांकित होगा "साथ.--------(परिवार के सदस्य एवं/आश्रित रिश्तेदारों का उल्लेख होगा) नागपुर से अपने परिवार एवं/या रिश्तेदारों को वहां यात्रा विराम के बाद ले जाना है, तो इस उद्देश्य के लिए पास में दिए गये स्थान पर तद्नुसार पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जब कर्मचारी के परिवार एवं/अथवा आश्रित रिश्तेदारों के द्वारा कर्मचारी को मार्ग से ले जाना हो तब बाद वाले को जारी पास में यह पृष्ठांकित होगा "साथ..-------- (कर्मचारी का नाम) से --------- इस स्टेशन का नाम जहां से यात्री को लिया जाना है)"

(xxi) अनुबंध अ में सुविधा टिकट आदेश के फार्मेट दिए गये है :

(क) पास फार्म निम्न रंगों के होंगे।

प्रथम श्रेणी 'अ' सफेद

प्रथम श्रेणी हरा

द्वितीय श्रेणी गुलाबी

(ख) क्षेत्रीय रेलों द्वारा अपनी रेलवे के अतिरिक्त अन्य रेलवे पास मानक पास फार्मों पर जारी होंगे एवं उस पर:—— रेलवे द्वारा ——— रेलवे के लिए" की मोहर लगाई जाएगी" ऐसे पास महाप्रबंधक के कार्यालय से और ऐसे अन्य अधीनस्थ कार्यालयों जिन्हें महाप्रबंधक प्राधिकृत करें द्वारा जारी किए जाएंगे जो अपने पदनाम के ऊपर हस्ताक्षर करेगा।

(ग) अन्य कार्यालयों जैसे कि रेलवे बोर्ड रेल अध्यक्ष, सुरक्षा अ.अ.मा.स. उत्पादक इकाइयां आदि द्वारा जारी पासों पर"———— कार्यालय —— रेलवे ——— द्वारा जारी" की मोहर लगाई जाएगी।

(घ) जारी करने वाले कार्यालय की मोहर हर पास/सुविधा टिकट आदेश पर जारी करने वाले कार्यालय की मोहर लगी होनी चाहिए इसके बिना बुकिंग कार्यालय पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(xxii) (क) सुविधा टिकट आदेश को प्रस्तुतिकरण: उस गाड़ी जिसमें धारक यात्रा करने का चयन करता है की रवानगी के कम से कम 15 मिनट पहले आदेश को बुकिंग कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

(ख) सुविधा टिकटों को बदलना : बुकिंग कार्यालय पर आदेश को यात्री टिकट में परिवर्तित अवश्य करवाना चाहिए एवं बुकिंग क्लर्क की उपस्थिति में अवश्य ही धारक के हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए। टिकटों पर "सुविधा" शब्द लिखा अथवा मोहर लगा होना चाहिए।

(ग) सुविधा पास के साथ सम्मिलित सुविधा टिकट आदेश को परिवर्तित करना उन मामलों में जहां यात्रा के कुछ हिस्से के लिए सुविधा पास और शेष यात्रा के लिए सुविधा टिकट आदेश जारी किया जाता है, शुरूआत के स्टेशन पर ही सुविधा टिकट आदेश को बढ़े हुए किराए के टिकट से बदल देना चाहिए बढ़े हुए किराए के टिकट से बदल देना चाहिए, बढ़े हुए किराए के टिकट को निम्नानुसार पृष्ठांकित किया जाएगा।

यात्रा के आरंभ के लिए:—— से प्राप्त यात्रा के आरंभ का स्टेशन जिस के लिए बढ़ा हुआ किराये का टिकट लिया गया है 14 दिनों के अंदर"। इस प्रकार के मामलों में गंतव्य के लिए सामान की बुकिंग पास तथा सुविधा टिकट आदेश पर स्वीकार्य मुफ्त भत्ते के अनुसार एक सामान टिकट पर संबंधित दूरी के लिए की जा सकती है।

(घ) टिकटों की कम संख्या में जारी करना: आदेश पर दर्शाए गये टिकटों को कम संख्या में जारी किया जा सकता है बशर्ते, धारक द्वारा आदेश पर प्राप्त की गई सही संख्या सत्यापित की गई हो।

(ङ) रिफंड : बिना प्रयोग किए गए सुविधा टिकटों पर रिफंड सामान्य टिकटों के मामलों में जैसा होता है उन्हीं शर्तों पर लागू होगा।

(च) आरंभिक स्टेशन से वापसीयात्रा के लिए सुविधा टिकट आदेश बहिर्यात्रा के लिए भुनाया जा सकता है बशर्ते आरंभिक स्टेशन पर आरक्षण कोटा मिलता हो।

(छ) सुविधा टिकट आदेश महानगर शहरों के एक से अधिक स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को संबोधित किए जा सकते है और इन्हें सुविधा टिकट आदेश में वर्णित नियमित टिकटों से बदला जा सकता है।

(xxiii) सुविधा पास धारक अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएं निःशुल्क ले जा सकता है बशर्ते कि स्वीकार्य निःशुल्क भार अनुमति के बदले इनका भार एक समान रूप से समायोजित किया जाए और इस आशय को पास में पृष्ठांकित किया जाए:—

(क) टी वी सेट	25 किलो सभी के	लिए एक समान
(ख) साईकिल	40 किलो	
(ग) दो पहियों वालास्कूटर/ मोपेड आदि।	150 किलो	

(xxiv) श्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए ऊंची श्रेणी के पासः—क्षेत्रीय रेलें/उत्पादक इकाईयों के महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक के अधिकार का प्रयोग करने वाले अन्य अधिकारी उन रेल कर्मचारी को प्रथम श्रेणी सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश (सरकारी लेखे पर शामिल किया जाएगा) दे सकता है जो अर्जुन पुरस्कार/राष्ट्रपति का पुरस्कार "पदम श्री" आदि ग्रहण किये हुए है और/या सरकारी अंतर्राष्ट्रीय खेलों अर्थात विश्व राष्ट्रमंडल या एशियन चैम्पियन शिप में स्वर्ण पदक जीते है या ओलम्पिक राष्ट्रमंडल या एशियन खेल आदि में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो भले उ का वेतन उस समय जब तक वे समान्य नियमों के अन्तर्गत पहले दर्जे का पास पाने के हकदार नहीं हो जाते लोकिन रेल सेवा में लगे रहते है ये उनके लिए व्यक्तिगत होंगे।

(xxv) शारीरिक रूप से अंपग कर्मचारियों को ऊंची श्रेणी के पास :—

(1) द्वितीय श्रेणी पास के हकदार वे रेल कर्मचारी जो शारीरिक रूप से अंपग है (श्रेणी "सी" एवं "डी"), को आयु सीमा के अंतर्गत सुविधा पास की ऊंची श्रेणी दी जा सकती है लेकिन प्रथम श्रेणी से ऊंची नहीं होनी चाहिए साथ में उनके कुल हकदार टिकटों के बदले में उसी श्रेणी में एक मार्गरक्षी भी ले जाया जा सकता है। यदि कर्मचारी एक वर्ष में तीन पासों का अधिकारी है तो भी पासों का सेट एक साल में ही होगा। जहां कर्मचारी 3 सेटों से कम एवं 1 सेट सुविधा पास से कम का हकदार हो, प्रथम श्रेणी पास में एक मार्गरक्षी के साथ यात्रा करने की सुविधा एक सेट के पास में दे देनी चाहिए।

(2) वेतन सीमा के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के हकदार बने अराजपत्रित शारीरिक रूप से अपग रेल कर्मी को यह विकल्प होना चाहिए कि या तो वह सुविधा पास के दो सेटों का एक मार्गरक्षी के साथ प्रयोग करे अथवा उन्हें अधिकृत सुविधा पासों के अनुसार उनकी हकदरी के अनुसार सुविधा पासों का प्रयोग को पासों के दोनों सेटो में प्रत्येक बकाया एक सेट अभ्यर्पित किया जाएगा। जहां कर्मचारी 3 की हकदारी सुविधा पासों के तीन सेटों से कम है वहां पास के एक सेट में अनुरक्षक की सविधा होगी।

(3) शारीरिक रूप से विकलाग राजपत्रित रेलवे कर्मचारी के मामले में यह विकल्प दिया जाएगा कि या तो उनकी हकदारी के अनुसार सुविधा पास का प्रयोग करें या उसी श्रेणी में एक अनुरक्षक सहित 3 सेटों का प्रयोग करें जिनमें से सुविधा पास के प्रत्येक तीन सेटों में बचे हुए पास के तीन सेट अभ्यर्पित करे।

बशर्ते उपरोक्त (1) (2) एवं (3) में दी गई सुविधाएं केवल विभागीय चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर दी जाए एवं जहां कर्मचारी की कोई परिवार अथवा पास में शामिल करने योग्य कोई सदस्य न हो।

जहां मार्गरक्षी के लिए अनुमति हो कोई परिचर नहीं दिया जाएगा। शारीरिक कमियां मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएगी :

(क) रेल कर्मचारी जिसकी टांग या तो घुटने के नीचे या ऊपर न हो एवं कृत्रिम अंग का प्रयोग कर रहा हो,

(ख) रेल कर्मचारी जिसकी दोनों टागें न हो अथवा उनके घुटनों के ऊपर न हो और कृत्रिम अंगों का प्रयोग कर रहे हों।

(ग) रेल कर्मचारी जिनके एक/दोनों हाथ न हो :—

(घ) रेल कर्मचारी जिनकी दोनो टागों ने काम करना बंद कर दिया हो एवं जिन्हें पोलियो के आक्रमण के कारण हाथों के सहारे चलना पड़ता हो।

नोटः—जिसके आधार पर इस छूट का प्रमाण पत्र दिया गया है यह पूरे सेवाकाल के लिए वैध है।

उपरोक्त मद (क) से (घ) के अंदर संदर्भित कर्मचारियों को उपनगरीय आवासीय कार्ड भी (प्रथम श्रेणी) ऊंची श्रेणी में प्रदान किये जाते है।

(xxvi) शारिरिक रूप से अपंग कर्मचारी रेल अस्पताल के विकलांग सर्जन अथवा विभागीय चिकित्सा अधिकारी से एक अनिवार्य प्रमाण-पत्र पर अपने सुविधा पास पर अनुमेय मुफ्त सामान अनुमति के अंदर साईकिल/व्हील चेयर मुफ्त ले जा सकता है।

(xxvii) रेल सेवक की एक से अधिक विवाहित पत्नियों के पक्ष में पास एवं सुविधा टिकट आदेश जारी किए जा सकते हैं बशर्ते रेल सेवक को अलग पास एवं/या सुविधा टिकट आदेश जारी एवं उसके पास खाता में से गिने जाए।

(xxviii) विवाहित पुत्री को उस दशा में पास सुविधा टिकट आदेश में शामिल किया जा सकता है जब उसका पति कम से कम सात सालों से लापता हो बशर्ते एक शपथ-पत्र किया जाए जिसमें संबंधित रेल सेवक के हस्ताक्षर हो और मजिस्ट्रेट द्वारा खोए हुए समय की अवधि के बारे में सत्यापित किया गया हो।

(xxix) विशेष श्रेणी के प्रशिक्षु जिनके अभिभावक रेल कर्मचारी हों को उनके पास/सुविधा टिकट आदेशों में सिर्फ प्रशिक्षण काल की अवधि के दौरान शामिल किया जा सकता है।

(xxx) कर्मचारी के आश्रित भाई बहन तब शामिल किए जा सकते हैं जब उसके सौतेले पिता जीवित हों, बशर्ते यह सत्यापित किया जाए कि वे पूरी तरह से कर्मचारी पर आश्रित है और सौतेले पिता ने सौतेली संतान से अपने संबंध विच्छेद कर लिये हों।

(xxxi) उन मामलों में जब कर्मचारी अपने परिवार अथवा आश्रित रिश्तेदारों के साथ जाने में असमर्थ हो तो वह पास जारी करने वाले प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट करके कि वह अपने परिवार अथवा आश्रित रिश्तेदारों के साथ जाने में असमर्थ था तो वह अपने लिए आने और जाने के लिए पास लेने हेतु पात्र होगा। ऐसे मामलों में दो बर्हियात्रा और दो वापसी यात्रा पास (अर्थात परिवार और आश्रित संबंधी के लिए एक बाहरी और एक वापसी और कर्मचारी के लिए एक वापसी) एक सेट में शामिल होंगे। इन अलग-2 पासों को जारी करने के बीच उचित समय सीमा जो एक माह से ज्यादा नहीं होगी यह सुविधा सेवानिवृत रेलवे कर्मचारी के लिए स्वीकार्य नहीं होगी।

(xxxii) उन अधिकारियों को जो रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हों या उससे ऊपर या इन पदों से सेवानिवृत हुए हों की अपने सुविधा/सेवानिवृत्ति मानार्थ-पासों पर राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुमति है :—

(क) वे वातानुकूलित चेयरकार, ए सी नन टीयर वातानुकूलित एवं वातानुकूलित प्रथम में यात्रा कर सकते हैं। बशर्ते वातानुकूलित प्रथम श्रेणी (राजधानी एक्सप्रेस) एवं प्रथम श्रेणी शयनयान श्रेणी (राजधानी एक्सप्रेस) के किराए के अंतर के 1/3 का भुगतान करें।

(ख) एक अलग पास पर दो से अधिक व्यक्ति वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में बुक नहीं किए जा सकते हैं, 2 वातानुकूलित 2 टीयर शयनयान एवं 4 वातानुकूलित चेयर कार में बशर्ते इस शर्त के कि यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 4 से अधिक न हो।

(ग) पास धारक को राजधानी एक्सप्रेस में कोई परिचर ले जाने की अनुमति नहीं है :—

(घ) राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने की सुविधा मई एवं जून के महीनों में उपलब्ध नहीं होगी।

(xxxiii) वे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त/अधिवर्षिकी होने वाले हों उन्हें नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य उपलब्धता की सामान्य अवधि के लिए सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश जारी किए जा सकते हैं, चाहे वह कर्मचारी की अधिवार्षिकता की तारीख के बाद हो बहरहाल यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि सेवा में और सेवा निवृति के बाद रेलवे कर्मचारी जारी किए पासों की संख्या जिनका कि वह सेवा के दौरान हकदार था की कुल संख्या से ज्यादा नहीं होगी।

(xxxiv) सुविधा पास पर सामान तभी बुक किया जाएगा जब पास पर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो, अन्यथा यदि बुकिंग की गई हो, तो उसका भुगतान साथ में नहीं ले जाये जा रहे सामान के दर पर किया जाएगा तथापि सामान अग्रिम रूप से बुक किया जा सकता है परंतु धारक को यात्रा अवश्य करनी पड़ेगी।

(xxxv) यदि रेल कर्मचारी यह प्रमाणित करे कि उसका पुत्र/आश्रित भाई आगे दाखिला चाहता है और पढ़ाई जारी रखेगा तो भी उसके पुत्रों/आश्रित भाइयों को सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश नहीं दिए जाएंगे अगर वे फाइनल परीक्षा में शामिल हो गये हों अथवा पास हों गये हों।

(xxxvi) (क) सभी विभागों के प्रशिक्षुओं के परिवार के सदस्यों एवं पात्र आश्रित रिश्तेदारों को सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश जारी नहीं किए जाएगें। यह उन कर्मचारियों पर जो रेलों पर अपने पुराने पद से अपने संबंध बिना विच्छेद किए हुए प्रशिक्षु के रूप में भर्ती हुए है पर लागू नहीं होगा।

(ख) अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के विषय में प्रशिक्षु काल को पास लाभों के लिए अर्हक सेवा को रूप में माना जाएगा।

(xxxvii) राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के उन मामलों में जहां किराए में भोजन का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है, वहां सेवानिवृत्त एवं काम कर रहे रेल कर्मचारी दोनों को अपने सुविधा/सेवेप्तर मार्गाथ पास पर यात्रा करने की अनुमति है परंतु उनपर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे :—

हैसियत	प्रत्येक पास पर हकदार	
	राजधानी	शताब्दी एक्सप्रेस
(i) सेवा निवृत्त एवं काम कर रहे बोर्ड सदस्य	दो बर्थ या तो प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में बुक की जाएगी अथवा दो वातानुकूलित शयनयान में या 4 वातानुकूलित चेयर कार में ।	दो सीटें इग्जेक्यूटिव श्रेणी में अथवा 2 चेयर कार में
(ii) 7300 रु. अथवा इससे अधिक वेतन पा रहे सेवारत अधिकारी अथवा बराबर के पद के सेवा निवृत्त अधिकारी (जिनमें महाप्रबंधक) शामिल है पर उपरोक्त (i) नहीं	एक प्रथम वातानुकूलित श्रेणी या दो वातानुकूलित शयनयान में	चेयर कार में दो सीटें

नोट.—उपरोक्त मदों (i) एवं (ii) के विषय में, निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :—

(क) प्रथम वातानुकूलित शयनयान में यात्रा करने की अनुमति उस शर्त पर दी जाएगी जब प्रथम वातानुकूलित श्रेणी एवं वातानुकूलित शयनयान अथवा राजधानी एक्सप्रेस के किराए के 1/3 अंतर का भुगतान कर दिया जाए।

(ख) इग्जेक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति उस शर्त पर दी जाएगी जब इग्जेक्यूटिव श्रेणी एवं शताब्दी एक्सप्रेस की चेयर कार श्रेणी के 1/3 अंतर का भुगतान कर दिया जाए।

(iii) 4500 रु. अथवा इससे अधिक वेतन पा रहे सेवारत अधिकारी एवं बराबर के पद के अधिकारी एवं 7300/- रु. तक एवं बराबर के पद के अधिकारी	वातानुकूलित चेयर कार में दो बर्थ	चेयर कार में दो सीटें
(iv) 3700 रु. अथवा इससे अधिक वेतन पा रहे सेवारत अधिकारी एवं 4500 रु. से कम वाले एवं बराबर के पद के सेवानिवृत्त अधिकारी	वातानुकूलित चेयर कार में दो सीटें	चेयरकार में एक सीट
(v) प्रथम श्रेणी पास धारक सेवारत एवं सेवानिवृत्त	वातानुकूलित चेयर कार	चेयरकार में एक सीट

श्रेणी	हकदारी की शर्तें	हकदारी/सुविधाऐं
III. पुनः नियुक्ति पर सुविधा पास एवं सुविधा टिकट आदेश		
समूह क, ख, ग, एवं घ	(i) रेल कर्मी की रेल संगठन में पुनः नियुक्ति पर	सेवानिवृत्ति के समय पर पा रहे सुविधा टिकट आदेशों के बराबर संख्या बिना इस तथ्य का ध्यान रखे कि सेवानिवृत्ति के पहले उनके द्वारा की गई सेवा उनकी पुनः नियुक्ति की सेवा के साथ जारी है अथवा नहीं ऐसे कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति के बाद दिये जाने वाले मानार्थ पास नहीं मिलेंगे। **नोट :**—ग्रुप ग कर्मचारियों के पास/सुविधा टिकट आदेशों की श्रेणी का निर्धारण उनकी पुनः नियुक्ति के वेतन के आधार पर किया जाएगा।
	(ii) गैर रेलवे सरकारी कर्मचारियों अथवा अर्धसरकारी निकायों की रेल संगठन में पुर्न नियुक्ति पर।	इन नियमों के अंगर्तत रेल सेवकों को स्वीकार्य वेतनमान पर पास/सुविधा टिकट आदेश।
	(iii) उन सेवा निवृत रेल कर्मियों के मामले में जिनको दुबारा पुनः नियुक्ति की शर्तों से भिन्न शर्तों पर लगाया गया है। जैसे ठेके के आधार या परार्मश दाता आदि को केवल सेवानिवृति उपरान्त मानार्थ पास जैसे स्वीकार्य है जारी किए जाएगें।	
IV. भारत/विदेश में प्रतिनियुक्ति पर सुविधा पास एवं सुविधा टिकट आदेश		
समूह क, ख, ग, एवं घ	(i) अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए रेल कर्मचारी को यथा स्वीकार्य उसी वेतन मान में केन्द्रीय सचिवालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेशों और स्कूल पासों के लिए है पात्रता	सुविधा खाते पर रेल सेवक को हकदारी की श्रेणी पर पास/सुविधा टिकट आदेश जारी किए जाएगें। **नोटः**—गैर-रेलवे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर आए रेलवे कर्मचारियों को उपनगरीय, आवासीय कार्ड पासों, रियायती सीज़न टिकटों आदि का लाभ स्वीकार्य नहीं होगा।
	(ii) केन्द्रीय सचिवालय जैसे कि मंत्रालय/भारत सरकार के विभागों के उन रेल कर्मचारियों जो प्रतिनियुक्ति पर है, समय-समय पर अनुमत अवधि वह होगी जो पूरे वेतनमान की अवधि पर स्वीकार्य है।	

1	2	3	4	5
		(iii) उन रेल सेवकों के लिए जो प्रतिनियुक्ति पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जिनमें राइट्स/इरकान आदि शामिल है पूरे लाभों की स्वीकार्यता की अवधि निम्नानुसार होगी:—		
		(क) 5900-7300 एवं इससे अधिक का वेतनमान पा रहे पदों जिन्हें उच्च पद के रुप में घोषित किया गया है ——2 वर्ष		
		(ख) अन्य पद ——3 वर्ष		
		(iv) जहां रेल सेवक की प्रतिनियुक्ति को ऊपर वर्णित सामान्य अवधि से आगे बढ़ाया जाता है, उसी वेतनमान पर सुविधा पास की सुविधा तभी जारी होगी, जब कर्मचारी जारी किए गये पासों की कीमत वहन करने को तैयार हो। जहां कर्मचारी लागत को वहन करने को तैयार नहीं है रेल सेवक उसकी श्रेणी के सेवानिवृत्त रेल सेवकों के लिए लागू न्यूनतम वेतनमान पर पास की अनुमति होगी चाहे उसने इस प्रयोजन हेतु न्यूनतम आहर्क सेवा पूरी न की ही, बशर्ते रेल सेवक सुविधा पास के उच्चतर वेतनमान का हकदार है और वह रेल सेवा से उस तारीख को सेवानिवृत हुआ है जिसकी उसने प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि पूरी की है। वह उसी वेतनमान के पास का हकदार होगा जो वह उस तारीख को ले रहा था। उन मामलों में जहां रेल सेवक को एक विभाग से दूसरे विभाग में बिना उसे उसके मूल विभाग में प्रत्यावितत किए रखा जाए वहां पासों का लाभ प्रतिनियुक्ति की अवधि से आगे स्वीकार्य नहीं होगा जैसाकि ऊपर वर्णित प्रथम प्रतिनियुक्ति की तिथि से गणना की गई है।		
		(vi) वे रेल सेवक जो राइटस/इरकान के द्वारा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति		

1	2	3	4	5
			पर भेजे जाते है, को भी यथा (iii) में उल्लिखित अनुसार उन्हें मूल रुप से राइट्स/इरकान में प्रतिनियुक्ति पर समझते हुए सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश मिलेगें।	
		(vii)	रेल सेवकों को जो सरकारी तौर पर विदेश सेवा में भेजे गये है को उन की तरह जिनका आवेदन पत्र कार्मिक विभाग के द्वारा विभिन्न प्रतिनियुक्तियों पर भेजा गया है। उन्हें पास उनकी श्रेणी के सेवानिवृत सेवकों पर लागू निम्नतम वेतनमान पर मिलेगें भले ही उन्होंने इस पद के लिए न्यूनतम अहर्क रेल सेवा पूरी न की हो एवं जहां उन्होंने न्यूनतम अहर्क रेल सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें उनकी श्रेणी के सेवानिवृत रेल सेवकों को मिलने वाले वेतनमान के बराबर पास मिलेगें, अगर उनके परिवार पीछे हो। अन्य मामलों में, प्राप्त अनुरोधों पर पास/सुविधा टिकट आदेशों का केवल एक सेट दिया जाएगा।	
		(viii)	3 वर्षो से अधिक रेल सेवा वाले स्थाई रेल सेवकों, जिनका आवेदन भेजा जा चुका है एवं जिनका पद के लिए चयन एवं नियुक्ति अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायतशासी निकाय में हो चुकी है को पासों/सुविधा टिकट आदेशों के लाभों की अनुमति रेलों से हटने की तिथि से दो वर्षो के लिए दी जाएगी। जिसके दौरान उन्हें अपने लियन में रहने की अनुमति होगी।	
		(ix)	वे रेल सेवक जो अल्प कालिक प्रतिनियुक्ति अथवा रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित पदों पर लगाये गये है, को रेल सेवा के दौरान उनको मिलने वाले पास/सुविधा टिकट आदेश के बराबर मिलेगें।	

1	2	3	4	5
V. गैर रेल, विभागों से रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर सुविधा पास एवं सुविधा टिकट आदेश				
समूह क, ख, ग, एवं घ		गैर रेल विभागों के कर्मचारी जो रेलवे पदों पर प्रतिनियुक्ति पर है।	(i) रेल सेवकों को मिलने वाले पास सुविधा टिकट आदेशों के बराबर (ii) रेलों पर पद भार ग्रहण करने और त्यागने के समय स्वयं और परिवार के लिए पासऔर व्यक्तिगत सामान आदि के लिए पास (iii) पास खाते पर रेल सेवकों को मिलने वाली श्रेणी के पास/सुविधा टिकट आदेशों के समान। *	